

प्रेषक, **अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 1998

विषय, भवन निर्माण मानचित्र पर लिये जाने वाली अम्बार फीस की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-(टट) में यह प्राविधानित है कि अम्बार फीस का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिये धारा-5 के अधीन उद्ग्रहीत की जाय। उक्त अधिनियम की धारा-15(2क)में यह व्यवस्था है कि प्राधिकरण विकास शुल्क, नामांतरण प्रभार, अम्बार फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर जो विहित की जाय, उद्ग्रहीत करने का हकदार होगा। परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित न किया जा रहा हो या विकसित न किया गया हो, उद्ग्रहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसे क्षेत्र स्थित हो, को अंतरित कर दिया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बनाम श्रीमती मालती कौर के केस में यह निर्णय दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक स्थल या मार्ग का प्रयोग भवन निर्माण हेतु सामग्री अम्बार करने के लिये करे तो उस व्यक्ति को ऐसे उपयोग के लिये उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर उसे अम्बार फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण की अम्बार फीस निर्माणकर्ता से लिये जाने का अधिकार है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भिन्न-भिन्न प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण सामग्री अम्बार किये जाने से हुई क्षति के कारण सार्वजनिक स्थल या मार्ग का पुनरोद्धार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अम्बार फीस भिन्न-भिन्न दरों पर ली जा रही है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग के "शिड्यूल आफ रेट्स" के आधार पर अम्बार फीस की दर 11/- रुपये प्रति वर्गमीटर उपयुक्त है। अतएव राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(1) के अन्तर्गत यह निदेश देते हैं कि भवन मानचित्र स्वीकृत के समय निर्माणकर्ता से अम्बार फीस के रूप में 11.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से वसूल की जाय। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले कास्ट इन्डेक्स के अनुसार उक्त दरें भविष्य में प्राधिकरण स्तर पर पुनरीक्षित की जायेगी।

3. उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्या: 175(1)/9-आ-3-98, तददिनांक

उपरोक्त की प्रति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7 बन्दरियाबाग, लखनऊ तथा आवास बन्धु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

आज्ञा से,

पी०एन० सिंह
अनुसचिव